न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 69/18 GCMS NO 2018/00244

1. लक्ष्मण सिह
2. सियाराम
3. रघुवीर पुत्रान मूलचंद जातियान गुर्जर निवासीयान चिरावंडा तहसील नादौती जिला करौली

बनाम

1. धर्मसिह
2. राजाराम
3. रामखिलाडी पुत्रान अर्जुन सिह जातियान गुर्जर निवासीयान गढमोरा तहसील नादौती जिला करौली
4. तहसीलदार तहसील नादौत

.... रैस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 12.3.2016 मु0नं0 150/10 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 24.09.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 12.3.2016 न्यायालय उपजिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/ वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 1874 रकबा 0.80 व ख0न0 1875 रबा 0.14 ऐयर ग्राम गढमोरा तहसील नादौती मे स्थित है। उक्त आराजीयात को वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने जरिये विकय पत्र खरीद की है। जिसमे विकय पत्र मुताबिक हिस्सा 1/3 वादीगण का निहित है। ख0न0 1875 रकबा 0.14 ऐयर पर बिना किसी विवाद के वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी खसरा न0 से लगता हुआ ख0न0 1874 है जिसमे वादीगण का हिस्सा 1/3 कुल रकबे मे है। इसी नम्बर मे वादीगण का 1875 नम्बर से लगता हुआ हिस्सा 17 ऐयर कब्जा है उसे भी विकय के अवधि से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पास ही [illegible] अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण मनचले स्वभाव के व्यक्ति है [illegible] अपना मानस बदलते रहते है । वादीगण एवं प्रतिवादी की सम्मिलित [illegible] बटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण ने ऐतराज कर दिया [illegible] लाजमी हुआ। [illegible] विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण तकास्मा आराजीयात डिक्री किया जाकर तहसीलदार नादौती को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आराजीयात ख0न0 1874 रकबा 0.80 ऐयर, 1875 रकबा 0.14 ऐयर भूमि जो वादीगण के कब्जे मे है शेष ख0न0 1874 रकबा 0.80 ऐयर मे से 17 ऐयर उसको ख0न0 1875 के पास जिस पर वादीगण का कब्जा है अर्थात कुल रकबा हिस्सा 1/3 रकबा 0.31 ऐयर की पृथक खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अमल की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नादौती को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर तहसीलदार नादौती से प्राप्त बंटवारा स्कीम उभयपक्ष को पढकर सुनाई जाकर मौका रिपोर्ट अनुसार एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांटगण द्वारा इस अपील इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया रैस्पो0 को नोटिस जारी किये, तहत रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अभिभाषक की एक पक्षीय सुनी गई ।

अपीलाट के योग्य अभिभाषक ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस अपील में बताया कि रेस्पो/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। अपीलांट/प्रतिवादीगण के किसी प्रकार के हस्ताक्षर राजीनामे पर नही है ना ही दिनांक 12.3.2016 को आयोजित लोक अदालत शिविर गढमोरा की कोई जानकारी थी। जबकि दिनांक 12.3.16 को ग्राम पंचायत गढमोरा मे कोई लोक अदालत शिविर था ही नही। इस प्रकार बिना जानकारी बंटवारा स्कीम को बिना पढे अपीलांट के बिना बयान कराये अपीलांट व रेस्पो0 के अधिवक्तागणो द्वारा मिली भगत कर दावा डिक्री कराया गया है। भूमि खसरा न0 1875 रकबा 0.14 है0 मे रेस्पो0 व अपीलांट का शामलाती कुआ है जो भूमि ख0न0 1874 के लगती हुई ख0न0 1875 के उत्तरी पूर्वी भाग मे बना है। जिस पर दोनो पक्षो का बराबर हिस्सा है। कुआ शामलाती है। जिसमे अपीलांट को कोई हिस्सा नही दिया गया है। जबकि ख0न0 1875 रकबा 0.14 है0 की सम्पूर्ण खातेदारी रेस्पो0/वादीगण के नाम बंटवारे मे दे दी गई है। जबकि कुअे मे से दोनो को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। कुअे के बाबत तहसीलदार नादौती द्वारा बंटवारा स्कीम मे कोई जिक्र नही किया गया है। इस प्रकार भूमि ख0न0 1875 रकबा 0.14 है0 मे से उत्तरी पूर्वी हिस्से मे कुआं वाले भाग मे 0.02 है0 भूमि अलग से कायम कर बराबर हिस्सा लेने का अपीलांट कानूनी अधिकार रखते है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर भूमि ख0न0 1875 मे से रकबा 0.02 है0 उत्तरी पूर्वी हिस्से मे ख0न0 1874 से लगवां रेस्पो0 व अपीलांट को शामलाती खातेदार घोषित फरमाया जावे। भूमि ख0न0 1874 रकबा 0.63 है0 जो अपीलांट के बंटवारे मे से दिया है उसमे से 0.02 है0 भूमि रेस्पो0 को दी जावे। इसी प्रकार भूमि ख0न0 1874 रकबा 0.80 है0 मे से रेस्पो0 को 0.17 है0 भूमि के स्थान पर 0.19 है0 का खातेदार घोषित किया जावे व 0.61 है0 का अपीलांट को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा भूमि ख0न0 1875 रकबा 0.14 है0 मे से 0.12 है0 का रेस्पो0 को खातेदार घोषित फरमाया जावे व 0.02 है0 का जिसमे कुआं शामलाती है उस भूमि का अपीलांट व रेस्पो0 को शामलात मे खातेदार घोषित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.2.08 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी गई है। जिसमे विक्रय पत्र मुताबिक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र मुताबिक विक्रय पत्र पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करने हेतु पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नादौती को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार नादौती से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात का बंटवारा किया गया है। दोनो पक्षो की बीच विवाद का मूल कारण खसरा न0 1875 मे बने कुअे पर है। जिसे तहसीलदार नादौती द्वारा बंटवारा स्कीम मे रेस्पो0 के हिस्से मे दिया गया है। दोनो पक्षो के बीच विवाद का कारण भी कुअे से पानी लेने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यदि अपीलांट को आराजीयात की सिचाई हेतु पानी की उपलब्धता नही होगी तो विवाद की वाहुलता बढने की ज्यादा संभावना है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.2016 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उप जिला कलेक्टर नादौती को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष की मौजूदगी मे कुअे का अलग से खसरा न0 बनाते हुए पुनः तहसीलदार नादौती से कुरेजात प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.9.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/2024

(लक्ष्मीकांत बालोती)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner